रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार जनवरी 7, 1972/पौष 17, 1893
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1972/PAUSA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th January 1972

S.O. 24(E)/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Mahaboob Shahi Kulbarga Mills Co. Ltd., Gulberga (Mysore), for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of: —

Chairman

1. Shri S. D. Mehta, Shree Ram Mills Ltd., Fergusen Road, Bombay-13.

Members

2. Dr. P. V. Seshadri, Adviser (Technical), National Textile Corporation Ltd., New Delhi.
3. Shri P. G. Rao, Controller, Southern Region, National Textile Corporation Ltd., Bangalore.
4. Shri N. S. Bharath, Joint Secretary, Department of Finance, Government of Mysore, Bangalore.
5. Shri B. D. Gupta, Inspecting Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, "Everest" 5th floor, 100, Marine Drive, Bombay-2.

Member-Secretary.

5. Shri B. D. Gupta, Inspecting Officer, Office of the Regional Director, Comthe Textile Commissioner, Coimbatore.

[No. F. 9(39)/Lic. Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

का० आ० 24(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/71.—अतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि महबूब शाही कुलबर्गा मिल्स कं० लि०, कुलबर्गा (मैसूर) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

अध्यक्ष

1. श्री एस० डी० मेहता,
 श्रीराम मिल्स लि०, फर्गूसन रोड, बम्बई–13.

सदस्य

2. डा० पी० बी० शेषाद्रि, सलाहकार (तकनीकी),
 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली ।
3. श्री पी० जी० राव, नियंत्रक, दक्षिण क्षेत्र,
 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०, बंगलौर ।
4. श्री एम० एस० भरत, संयुक्त सचिव,
 वित्त विभाग, मैसूर सरकार, बंगलौर ।
5. श्री बी० डी० गुप्ता, निरीक्षण अधिकारी,
 क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, समवाय विधि बोर्ड,
 "एवरेस्ट" पांचवीं मंजिल, 100, मैरीन ड्राइव,
 बम्बई–2 ।

सदस्य-सचिव

6. श्री एम० मधुरेनयंगम्,
 वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी,
 वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर ।

[सं० फा० 9(39) आई०पोलि० 71]

सुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972